

क्र.मा- 107/2023

तारीख- 18/11/23

समय- दिवस आदि बनान समयतह वगै
 बाबा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निवेशका

दिनांक 18/11/23
 कर्त अवकान
 वडी की और से श्री सुरेश चन्द रानी एडवोकेट ने
 बाबा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निवेशका 88, 188 आरटीएस्ट
 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया अवलोकन किया गया। बाबा दर्ज
 रजिस्टर कर प्रतिगवर्तन को जारीये तहसीलदार टोखाभीन एवं तहसील
 क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डक द्वारा नोटिस से तब कर फायली
 दिनांक 13.08.2023 को पैस है।

2954-57
 18/11/2023

(गौरव कुमार निराला)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 टोखाभीन जिला कराची

18.08.23 पत्रावली पैस हुई। वडी वडील उपखण्ड
 प्रोवाइंगर के मोस्टिब लागू होकर बाबत
 गठे हुई है। बाबत इन्फार्म मोस्टिब
 तहसील डिवाइज 24-8-23 को पैस है।
 (15)

24.8.23 वडी वडील टोखाभीन जिला कराच उपखण्ड
 मोस्टिब आदि व डीएमके टोखाभीन जिला कराची
 पत्रावली पत्रावली दिनांक 26-3-23
 को पैस है।
 (15)

20/11/23 पत्रावली पैस हुई। वडी की और से कार्य स्थान समाप्त
 रखा गया है प्रतिवादी नए। ने स्थान उपस्थित होकर
 मोस्टिब पर एसाइज किंगे 10 साख्वा मुकब पर
 पत्रावली वगैरे मोस्टिब साइज दिनांक 12/10/23 को
 पैस है।
 (15)

12/11/23 पत्रावली पैस हुई। वडी की और से कार्य स्थान
 रखा गया है। पत्रावली अधिकारी धुनाई कार्य ने एसाइज है।
 डीएमके टोखाभीन दिनांक 10/11/23 को पैस है।
 (15)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीर
फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
97 29	वादी वकील/वकील उपय पक्ष उपस्थित पीठामीन अधिवक्ता... पत्रावली गतानुसार दिनांक... रुने पेश हो। <u>उप</u>
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपय बहस हेतु समय पाए। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 22.8.24 को पेश हो। <u>उप</u>
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। बहस हेतु समय पाए। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 4.9.24 को पेश हो। <u>उप</u>
4-9-24	पत्रावली पेश हुई / वादी वकील उपस्थित बहस के लिए समय पाए जाने पर दिनांक 8-10-24 को पेश हो। <u>उप</u>
8/10/24	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा वादीगण व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद उपस्थित न्यायालय रहे है वादीगण का ढावा खोलना खतरे वाली एवं स्थानीय निषेधवा कानून राजकी कानून पेशी खारीज किया जाना सुनाया गया। पत्रावली फर्दल सुनात नम्बर से का हक दफ्तर हो। <u>शि</u>

खण्ड अधिकारी एवं पदेन स
फर्द अह